संख्या-56/2021/835/22-2-2021-17(339)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 मई, 2021***

विषय:- जिला कारागार, देवरिया में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र प्रताप राव पुत्र श्री बलवन्त निवासी जनपद-कुशीनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4324/प्रोबे0-5/दया0 बैठक 11-02-2021 दिनांक 22-02-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, देवरिया में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र प्रताप राव पुत्र श्री बलवन्त जो-मड़ार बिन्दवलिया, थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद-कुशीनगर का रहने वाला है। बलवन्त राव ने साझे का शीशम का बगीचा भाईयों से छिपाकर बेचा था। दोनों भाईयों द्वारा हिस्सा मांगे जाने पर हुए विवाद में दिनांक 02.04.1978 को 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुदाल एवं देशी पिस्तौल से गोली मारकर धीर राव एवं झीनराव की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-43/1979 में भा0द0वि0 की धारा-148, 324/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, देवरिया के आदेश दिनांक 29.01.1998 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05.04.2019 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 05.07.2019 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.11.2020 तक 01 वर्ष 09 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 01 वर्ष 11 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा पुलिस अधीक्षक की आख्या संलग्न कर अग्रसारित की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी महेन्द्र प्रताप राव पुत्र श्री बलवन्त की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई प्रकरण पर विचार किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.04.1978 को 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुदाल एवं देशी पिस्तौल से गोली मारकर धीर राव एवं झीनराव की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में गलत संदेश जाएगा। बन्दी द्वारा किये गये अराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, अपरिहार 01 वर्ष 09 माह 10 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष 11 माह 07 दिन की भोगी गयी सजा के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी महेन्द्र प्रताप राव (बन्दी संख्या-93/2019) पुत्र श्री बलवन्त, निवासी जनपद-कुशीनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-56/2021/835(1)/22-2-2021 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कुशीनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, देवरिया।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in